न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 14/2016

बउनवान

1– हीरालाल पुत्र रामनाथ उर्फ जगन्नाथ कोम बेरवा निवासी–बडगॉव तहसील–अन्ता जिला–बारां
2– रतनीबाई पुत्री जगन्नाथ उर्फ रामनाथ
3– श्रीमती गुलाबबाई पुत्री जगन्नाथ उर्फ रामनाथ
4– कमला पुत्री जगन्नाथ उर्फ रामनाथ
5– गीता पुत्री जगन्नाथ उर्फ रामनाथ

अकवाम बैरवा निवासीगण ग्राम बडगॉव तहसील–अन्ता जिला–बारां

(अपीलांटस्)

बनाम

1– श्रवणलाल पिसरान छीत्या उर्फ छोट्या जाति–चमार नि. थारलाखेडी
2– घनश्याम तहसील–दीगोद जिला–कोटा
3– चतुर्भज
4– मनभर
5– धापूबाई
6– भूलीबाई पत्नी छीत्या उर्फ छोट्या जाति–चमार निवासी–धारला खेडली तहसील–दीगोद जिला–कोटा
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता

(रेस्पोंडेंटस्)

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 08.03.2016 नामान्तकरण संख्या 1295 ग्राम बडगॉव तहसील–अन्ता अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल,अभिभाषक **(अपीलांट्स)**
2. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक **(रेस्पोडेंट्स)**

निर्णय दिनांक– 15.07.2019

1– अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खाते की आराजी का इन्तकाल संख्या 1295 दिनांक 08.03.2016 तस्दीक करने में कानूनी भूल की है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी, अन्ता का निर्णय दिनांक 28.04.2015 एवं संभागीय आयुक्त,कोटा के निर्णय दिनांक 20.07.2015 में ऐसा कोई आदेश तहसीलदार, अन्ता को नहीं दिया कि विवादित आराजी का इन्तकाल रेस्पों0 के पक्ष में स्वीकृत किया जावे। समस्त कार्यवाहीं राजस्व नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हुये मनमाने तरीके से रेस्पों0 की मिलीभगत कर इन्तकाल तस्दीक किया गया है। वैसे की किसी भी निर्णय की पालना में विधिवत सिद्धान्त है कि उसकी इजराय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की जावे और वहां से आदेश प्राप्त हो, उसके मुताबिक इन्तकाल में आदेश किये जावे। लेकिन विवादित इन्तकाल में इस

प्रकार की कोई पालना नहीं की गई है। इसलिये निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2— भू प्रबंध के दौरान भू प्रबंध अधिकारी द्वारा अपीलांट्स के पिता रामनाथ पुत्र माधो का नाम खाते से हटा दिया गया था जिसकी कार्यवाहीं अपीलांट के पिता रामनाथ उर्फ जगन्नाथ द्वारा जिला कलक्टर, बारां के यहॉ प्रस्तुत की थी जिन्होने दिनांक 28.11. 2000 को ग्राम बडगॉव के खसरा नम्बर 1067 की 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर अपीलांट के पिता का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया है जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,कोटा के यहॉ प्रस्तुत की जाने पर संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा दिनांक 20.07.06 को जिला कलक्टर, बारां का निर्णय निरस्त कर प्रकरण को पुनः सुनवायी हेतु एस0डी0ओ0 मॉगरोल को प्रतिप्रेषित किया गया। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 20.07.05 का हवाला देते हुये उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है जिसका कोई आधार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3— उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा दिनांक 28.04.2015 को उक्त पत्रावली में कोई न्यायिक निर्णय पारित न कर केवल मात्र दस्तावेजात् के पुराने होने के आधार पर व नये प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कार्यवाहीं खारिज की गयी है जो न्यायिक निर्णय की तारीफ ने नहीं आता है तथा इस निर्णय की क्रियान्विति नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1295 दिनांक 08.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता श्री रामनाथ पुत्र माधो के खाते दर्ज थी। सेटलमेंट की गलती से विवादित आराजी ख0नं0 1067 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा छित्या पुत्र देवा चमार के खाते दर्ज किया गया। जिसकी दुरूस्ती के लिये अपीलांट ने पिता रामनाथ उर्फ जगन्नाथ ने 136 एलआरएक्ट का प्रार्थनापत्र किया जिसपर जिला कलक्टर न्यायालय ने कब्जे काश्त व रेकार्ड के आधार पर उक्त आराजी ख0नं0 1067 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा रेस्पोडेंट के खाते से कम कर, अपीलांट के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसकी अपील रेस्पों0 ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,कोटा की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.07.2005 को पारित कर, पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल को रिमाण्ड की गयी जिसपर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा उक्त प्रकरण को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर दावा खारिज कर, डिक्री पर्चा जारी किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के आदेश का हवाला देते हुये विवादित आराजी का इन्तकाल रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी कर दिया। जबकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा एवं उपखण्ड अधिकारी,अन्ता द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं

किया है जिससे उक्त आराजी रेस्पोडेंट के खाले दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट की मिलीभगत से, न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुये, उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो न्यायिक निर्णय की तारीफ में नहीं आता है, ऐसे निर्णय की पालना नहीं की जा सकती।

6— साथ हीं निवेदन है कि तहसीलदार, अन्ता द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के दावा डिक्री दिनांक 28.04.2015 की पालना में इन्तकाल तस्दीक किया है। उसे अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2019 से खारिज कर, पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का तस्दीकी इन्तकाल निरस्त किया जाकर, रेकार्ड की पूर्ववत स्थिति दर्ज की जावे।

7— इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट प्रश्नगत आराजी का खातेदार है। इस न्यायालय से प्रश्नगत आराजी अपीलांट के दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी अपील रेस्पों0 द्वारा अति. संभागीय आयुक्त,कोटा में की गयी, जो पत्रावली उपखण्ड अधिकारी,अन्ता को रिमाण्ड फरमायी गयी। उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपीलांट के दावे को लगातार न्यायालय आदेश की अवहेलना किये जाने पर, दावा खारिज कर, डिक्री जारी की गयी है। माननीय अति.संभागीय आयुक्त ,कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.07.2005 से जिला कलक्टर, बारां का आदेश पूर्व में हीं निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा पूर्व की स्थिति में रेकार्ड को यथावत रखते हुये, उक्त आराजी बाबत अपीलांट के पक्ष में उक्त इन्तकाल नं0 1295 दिनांक 08. 03.2016 तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

8— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा उक्त इन्तकाल नं0 1295 दिनांक 08.03.2016 वाके बडगॉव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा दावा डिक्री खारिज होने पर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,कोटा के आदेश को बहाल मानकर, पूर्ववत रेकार्डेड खातेदार के नाम उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है। जबकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। माननीय न्यायालय ने पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड फरमायी गयी है, जिसका उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा दावा खारिज किया गया है। विधि का प्रावधान है कि दावा डिक्री की पालना हेतु इजराय प्रस्तुत होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय पेश हुये बिना हीं, मात्र अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,कोटा के आदेश का हवाला देते हुये उक्त इन्तकाल तस्दीक किया है, जो कानूनी एवं न्यायिक प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।

9— प्रकरण में अपीलांट ने जाहिर किया गया है कि उक्त इन्तकाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के आदेश दावा डिक्री दिनांक 28.04.2015 की पालना में तस्दीक किया है, उसे राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2019 को अपास्त किया जा चुका है तथा पुनः पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, अन्ता को

रिमाण्ड फरमायी गयी है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पों0 के पक्ष में विवादित आराजी का इन्तकाल तस्दीक किया गया है, जो न्यायिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 1295 दिनांक 08.03.2016 वाके ग्राम बडगॉव तहसील—अन्ता को अपास्त किया जाता है। चूकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2019 से पक्षकारान् में मध्य जेरकार दावे में उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के दावा डिक्री आदेश दिनांक 28.04.2015 को निरस्त किया जाकर, पत्रावली सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी,अन्ता को रिमाण्ड की जा चुकी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता को पत्रावली इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में जेरकार दावें के निर्णय/डिक्री पारित होने पर हीं नियमानुसार इन्तकाल दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.09.20 10:55:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: